भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1535

(जिसका उत्तर सोमवार 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है)

परिवारों के समक्ष वित्तीय दबाव

1535. **श्री जिया उर रहमान:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बढ़ती कीमतों, करों के बोझ और किफायती ऋणों की सीमित उपलब्धता के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिवारों, छोटे व्यापारियों और किसानों के समक्ष आ रहे वित्तीय दबाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र को प्रदान किए गए राजकोषीय उपायों, राहत योजनाओं या ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की आर्थिक और वित्तीय चुनौतियां देश भर के नागरिकों को प्रभावित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): हाल के नीतिगत उपायों और वृहद आर्थिक परिस्थितियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश भर में परिवारों, छोटे व्यापारियों और किसानों हेतु सहायक आर्थिक वातावरण बनाया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2 प्रतिशत से नीचे आ गई है, जिसने क्रय शक्ति को मजबूती प्रदान की है और जीवन यापन लागत के दबाव में कमी आई है। ब्याज दरों में चल रही सुगमता और तरलता की स्थिति में सुधार से परिवारों और छोटे उधारकर्ताओं के ऋण-सेवा भार को कम करने की संभावना है। इसके अलावा, ₹12 लाख तक की वार्षिक आय हेतु आयकर संबंधी छूट और जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के उपायों से परिवारों और छोटे व्यवसायों की प्रयोज्य आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे खपत, बचत और आस्ति सृजन में सुधार होगा। नाबार्ड रुरल इकोनोमिक कन्डीशन और सेंटीमेंट सर्वे (नवंबर 2025) के अनुसार, 79.2% ग्रामीण परिवारों ने विगत एक वर्ष में उपभोग व्यय में वृद्धि की जानकारी दी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सभी द्वि-मासिक दौरों में सबसे अधिक है।

इसके अलावा, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सुनिश्चित आय सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किफायती संस्थागत ऋण तक विस्तारित पहुंच और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यापक जोखिम कवरेज के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, मुद्रा और पीएम-स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण संबंधी पहुंच का निरंतर विस्तार छोटे उद्यमियों और रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका को बनाए रखने और इनके विकास को सक्षम बना रहा है, जिससे उनकी आय और बचत को सहायता मिल रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए बेहतर वित्तीय रेजिलिएंस में योगदान मिल रहा है।

(घ): पूंजीगत व्यय और अवसंरचना निर्माण, क्रमिक राजकोषीय समेकन और मूल्य स्थिरता पर सरकार का ध्यान आर्थिक विकास और वृहत आर्थिक स्थिरता पर जोर देता है। समावेशी विकास के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध, सरकार ने गरीबी और असमानता को कम करने, आय सृजन और आजीविका के अवसरों को संमवर्धित करने, कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, प्रयोज्य आय बढ़ाने के लिए लक्षित कर राहत प्रदान करने और देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई लक्षित योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और निरंतर पूंजीगत व्यय के कारण रोजगार सृजित करने और निजी निवेश में वृद्धि ने देश में वित्तीय सुरक्षा का समर्थन किया है।